



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या.....1205 व 1206/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान— मैसर्स हनुमान ट्यूबवैल कम्पनी, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन संभाग प्रथम, जयपुर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए																				
14.09.2017	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष</u> <u>श्री राजीव चौधरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप-राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के अधीन पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति की राशि कायम की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें धारा 38(4) के अधीन उक्त मांग राशियों के स्थगन बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 38(4) के अधीन प्रस्तुत उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 10.07.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार कर केवल शास्ति की राशि को स्थगित किया निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरुद्ध यह दोनों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>अपील सं.</th> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>कुल मांग राशि</th> <th>अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि</th> <th>शेष बकाया मांग राशि</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1205/17</td> <td>12-13</td> <td>3,63,518</td> <td>2,09,856</td> <td>1,53,662</td> </tr> <tr> <td>1206/17</td> <td>13-14</td> <td>1,62,39,957</td> <td>97,16,490</td> <td>65,23,467</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से पम्प सेट व स्पेयर पाटर्स की खरीद कर, ट्यूबवैल निर्माण के लिये निष्पादित संविदा कार्य में प्रयुक्त किया गया। संविदा कार्य में प्रयुक्त माल जो कि राज्य के बाहर से आयातित किया गया है, जिस पर पृथक से कर दायित्व नहीं बनता है। इसलिये उक्त माल को</p> <p style="text-align: right;">   <span style="font-size: 1.2em;">14/09/17</span> </p> <p style="text-align: right;">  </p> <p style="text-align: right;">लगातार.....2.</p>	अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि	1	2	3	4	5	1205/17	12-13	3,63,518	2,09,856	1,53,662	1206/17	13-14	1,62,39,957	97,16,490	65,23,467	
अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि																		
1	2	3	4	5																		
1205/17	12-13	3,63,518	2,09,856	1,53,662																		
1206/17	13-14	1,62,39,957	97,16,490	65,23,467																		

खरीद की बजाय प्रत्यक्ष खर्च में दर्शित किये जाने पर अपीलार्थी के कर दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपीलीय अधिकारी आरोपित कर व ब्याज पर प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाने के संबंध में कोई आधार नहीं उल्लेखित किया बल्कि एक Non Speaking आदेश पारित किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

- 1 M/s Parle Products Pvt. Ltd Vs. State of rajasthan (2013) 35 Tax Update 196 (RHC)
2. BSL Wulfinf Limited Vs. state of Rajasthan & Ords (2008) 12 VST 300(RHC)
3. Choudhary Construction Company Vs. The Deputy Commr RLW 2003 (1) Raj. 409 Dated 04-10-2001
4. BGR Energy Systems Limited Vs. AC, A/E, Kota (2013) 37 Tax Update 238(RTB)DB

राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से पम्प स्टे व उसके पार्ट्स को खरीद कर लिग्नाइट खनन के संविदा कार्य निपादन में उपयोग किया जाने से माल में सम्पत्ति का अन्तरण अवार्डर को होने के कारण उसपर वेट की देयता बनती है। व्यवहारी द्वारा उक्त माल पर वेट अदा करना बताया गया है किन्तु व्यवहारी द्वारा उक्त माल की खरीद को प्रत्यक्ष खर्चों में दर्शा कर इस पर देय वेट को राजकोष में अदा नहीं किया गया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Written Submissions पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के Non Speaking आदेश पारित किये जाने का आधार लेकर स्थगन के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में होने का कथन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। Non Speaking आदेश ही स्थगन का एक मात्र और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब वर्तमान प्रकरण में इस पीठ के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं तथ्यों का स्थगन के संदर्भ में विवेचन किया जा रहा है।


  
14/09/17



लगातार.....3.

यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से पम्प सेट व स्पेयर पाटर्स की खरीद कर, ट्यूबवैल निर्माण के लिये निष्पादित संविदा कार्य में प्रयुक्त किया गया तथा उक्त माल का आवर्डर को अन्तरण हुआ है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त खरीद को अपनी लेखा पुस्तकों में प्रत्यक्ष खर्चों में दर्शाया है। उक्त माल पर अपीलार्थी द्वारा वेट अदा नहीं किया गया है। प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.07.2017 के आदेश द्वारा शास्ति की राशि को स्थगित किया जा चुका है। प्रकरण के इस प्रकम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

  
सदस्य 14/09/17

राजस्थान कर बोर्ड  
अजमेर



अध्यक्ष  
राजस्थान कर बोर्ड  
अजमेर

